

### न्यास-पत्र

मैं आशोक कुमार पाल, पिता श्री चन्द्र पाल सिंह, पता – 136, गली नं. 4, राहुल विहार-2, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश -201009, मैंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म एवं राष्ट्र सेवा के कार्य के लिये समर्पित कर दिया है। इसी उद्देश्य हेतु आज दिनांक 01.10.2025 [( दिन बुधवार, माघ आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी, विक्रम संवत्सर 2082)] को रु 1100 (ग्यारहा सौ रुपये मात्र) की प्रारम्भिक राशि से न्यास के स्थापना की घोषणा करता हूँ।

#### **संस्थापक व न्यासी**

क.सं.	विवरण		पद	पेशा/व्यवसाय
1	नाम	आशोक कुमार पाल	संस्थापक / अध्यक्ष / न्यासी	समाज सेवा
	पिता	चन्द्र पाल सिंह		
	पता	136, गली नं. 4, राहुल विहार-2, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश -201009		
2	नाम	महेश चंद पाल	संस्थापक/ उपाध्यक्ष / न्यासी	समाज सेवा
	पति	राज कुमार		
	पता	मकान नं.68, सैनी वाली गली, रामपुरा, त्रिनगर, नोर्थ वेस्ट, दिल्ली-110035		
3	नाम	विपिन कुमार	न्यासी	समाज सेवा
	पिता	शीश पाल सिंह		
	पता	60/336, कम्बल वाला बाग, अवध विहार, न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251001		
4	नाम	योगेश कुमार	न्यासी	समाज सेवा
	पिता	गंगा सिंह		
	पता	दलाईपुरा, राजपुरा, आगरा, उत्तरप्रदेश-283113		

**न्यास का नाम, कार्यालय, कार्यक्षेत्र, पवित्र उद्देश्य आदि निम्नलिखित होंगे -**

- 1) **न्यास का नाम** :- स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान
- 2) **पंजीकृत कार्यालय** :- मकान नं. H-68, सैनी वाली गली, रामपुरा, त्रिनगर, नोर्थ वेस्ट, दिल्ली-110035-  
(भविष्य में आवश्यक परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा कार्यालय स्थानांतरित किया जा सकेगा )
- 3) **कार्यक्षेत्र** :- सम्पूर्ण भारत
- 4) **न्यास के उद्देश्य** :-  
न्यास अपने साधन, सुविधा, समय और अनुकूलता अनुसार निम्न उद्देश्य के लिये कार्य करेगा।
  - I. शिक्षा, सामुहिक विवाह, आसाहय की मदद
  - II. धर्म और राष्ट्र हित के मुद्दों पर जन संवाद और जन जागरण के लिए आवश्यक कार्य करना।
  - III. देश की एकता और अखण्डता के लिए कार्य करना ।
  - IV. मानव मात्र की शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति करने के उपाय करना।
  - V. पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण व वृक्षारोपण का कार्य करना ।
  - VI. निरक्षरता, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कार्य करना ।
  - VII. देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी व संस्कृत भाषा के महत्व प्रचार करना, हिन्दी व संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए कार्य करना।
  - VIII. सब के न्याय के लिए कार्य करना ।
  - IX. धार्मिक, सामाजिक एकता के लिए करना ।
  - X. प्राकृतिक योग चिकित्सा, योग साधना, ध्यान के महत्व का प्रचार-प्रसार करना ।
  - XI. देश में किसी भी प्रकार की विपदाओं से निपटने के लिए सहयोग देना, नागरिकों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करना ।
  - XII. नागरिकों में देश भक्ति की भावना का संचार करना ।
  - XIII. अन्य वे समस्त सभी कार्यों को करना जो कि उद्देश्यों की पूर्ति आदि के लिए आवश्यक, सहयोगात्मक व कानूनी हो ।
  - XIV. **अन्य उद्देश्य :-**
    - देश में सभी देशवासियों का सम शिक्षा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
    - देश में सभी देशवासियों को उच्च एवं निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

- देश में सभी भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को विशेष दर्जा देना
- देश में सभी युवाओं को शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर रोजगार
- शुद्ध शाकाहारी हिंदू धर्म संस्कृति राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर
- भारत के महान शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना
- नशा मुक्ति कार्यक्रम संचालित करना, आत्म रक्षा एवं सुरक्षा कौशल तथा राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के शिविर लगा कर लोगों को जागरूक करना व नशे का विरोध करना
- पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकना और उनका भरण पोषण करना ।
- मांसाहार के लिए जीव हत्या बंदी का विरोध करना और शाकाहार को बढ़ावा देना
- गौ संरक्षण व संवर्धन करना :- साधारणतयः गौवंश की रक्षा के लिए गौशालायें स्थापित एवं संचालित करना ।
- व्याख्यानों, पुस्तिकाओं अथवा अन्य वैध उपायों द्वारा लोगों को कृषि, जैविक कृषि, अर्थ एवं स्वास्थ्य सम्बंधी हितों के लिए गौवंश का महत्व समझाना ।
- पशुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकना और उनका भरण पोषण करना व लाचार, बेसहारा, अकाल पीड़ित एवं रोगी गौवंशों के लिए ऐम्बुलेंस, भोजन और चिकित्सा का प्रबंध करना ।
- आध्यात्मिक, जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के वेद, वेदांत, ब्रह्मविद्या, शास्त्र-पुराण एवं संत वाणी का संस्कृत एवं हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुपालन करना एवं धर्म सम्मत वैज्ञानिक जीवन कला का शिक्षण प्रदान करना ।
- मंदिर, धर्मार्थ, चिकित्सालयों, आरोग्य निकेतन एवं योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था करना ।
- शिक्षा के लिए विद्यालय एवं पुस्तकालय स्थापित करना, प्रतिभावान एवं गरीब छात्रों को यथायोग्य सहायता प्रदान करना एवं उनके निशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना। जिसके लिये गुरुकुलों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- दैविक आपदा (भूचाल, बाढ़, महामारी, अकाल आदि) से पीड़ित लोगों की सहायता करना।
- जन साधारण में स्वतंत्रता सेनानियों एवं महान शहीदों के विचारों का प्रचार-प्रसार करना।

- राष्ट्र की अखण्डता व एकता की भावना को पैदा करने के लिये प्रयास करना व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, ध्वज व आदि के प्रति जागरूकता एवं जानकारी को विकसित करना व उसका प्रचार-प्रसार करना ।
- साहित्य, कला, विज्ञान एवं ललित कलाओं की अभिवृद्धि करना ।
- भारतीय संस्कृति, शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना ।
- शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं अन्य कलाओं की अभिवृद्धि करते हुये शैक्षणिक शालाओं व संस्थाओं की स्थापना कर राष्ट्र के लिए बालक/बालिकाओं को उत्तम नागरिक बनाना तथा खेल कूद की गतिविधि व खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित करना । खेल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करना।
- सनातन धर्म से संबंधित त्योहारों के अवसरों पर व वार्षिक उत्सव स्थान-स्थान पर कराकर धर्म प्रचार, सामाजिक मिलन कार्यक्रम, भंडारा, योग प्रशिक्षण शिविर इत्यादि कराना ।
- धर्म साहित्य रचना, मुद्रण, प्रकाशन एवं उनका प्रचार-प्रसार करना ।
- धर्म प्रचार में संलग्न व्यक्तियों की सहायता सेवा करना ।
- सन्यासी व संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने वाले गुरु, शिष्या व शिष्यों आदि के लिये आवास और भोजन आदि की व्यवस्था करना ।
- जीर्ण-शीर्ण मंदिरों का पुनरुद्धार तथा पूजा व्यवस्था आदि करना ।
- योग दर्शन पर आधारित जीवन पद्धति का प्रचार करना ।
- स्वावलम्बी ग्रामीण जीवन संरचना का विकास करना एवं करवाना ।
- पर्यावरण-संरक्षण, रक्त दान शिविर, परिवार कल्याण कार्यक्रम, निशुल्क टीका करण एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं व शिविरों आदि का संचालन करना ।
- शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर शैक्षणिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करना प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाना हिन्दी, संस्कृत एवं अन्य भाषाओं का प्रचार-प्रसार हेतु कक्षाएँ एवं कार्यशालाएं एवं विद्यालयों, विश्वविद्यालय और गुरुकुल आदि की स्थापना कर बिना किसी भेदभाव के जनता का शैक्षणिक विकास करना एवं शिक्षित निर्धन एवं गरीब महिलाओं के लिए सौन्दर्य प्रशिक्षण केंद्र खोलना ।

- समाज के कल्याण हेतु समय-समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, कला, शिल्प, शैक्षिक को बढ़ाने और उनको प्रोत्साहन करने के लिए कार्यक्रम करना, सूचनात्मक, जागरूकता बढ़ाने वाली रैलियां, बैठकें, प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम आदि करना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए रूढ़ियों से निकल कर प्रगतिशील विचारों को अपनाते हुए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए धार्मिक सद्भाव एवं सामाजिक उत्थान की योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समस्त वैध कार्य करना।
- अन्य वह सभी कार्य व अन्य कार्यक्रम करना जो समाज और राष्ट्रहित में हो।

#### 5) न्यास के धन का विनियोग:-

- i. न्यास के धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित प्रबंधनों के अनुसार किया जायेगा।
- ii. दानी सज्जनों द्वारा दिया गया धन अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय व राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगा। न्यास किसी भी प्रकार की चल-अचल संपत्ति खरीद सकेगा। यदि किसी कारण वश कोई अचल संपत्ति को विक्रय भी करना पड़े तो विशेष आवश्यकता बताते हुए बैठक में यह प्रस्ताव पास कराना होगा, इसमें अध्यक्ष तथा न्यासी सदस्यों के दो-तिहाई संख्या की सहमति अनिवार्य होगी, विक्रय की स्थिति में बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग न्यास के नाम नई संपत्ति को क्रय करने में किया जायेगा
- iii. दान में चल व अचल संपत्ति प्राप्त करना न्यास कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तांतरण करना विनिमय करना।

#### 6) न्यासी मण्डल का गठन

1. इस न्यास के प्रबंध के हेतु एक न्यासी मंडल का गठन किया जायेगा।
2. न्यास के न्यासियों की संख्या अधिकतम **21** होगी।
3. न्यास मंडल का चुनाव व चयन इस न्यास के संस्थापक ही करेंगे।
4. न्यास मंडल के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा मंत्री, कोषाध्यक्ष इत्यादि की नियुक्ति की जा सकेगी।
5. न्यास के वर्तमान संस्थापक इस न्यास के आजीवन संस्थापक रहेंगे जब तक वह अपने स्थान पर किसी और अन्य की नियुक्ति या चयन नहीं करेंगे।

## 7) न्यासी मण्डल का कर्तव्य एवं अधिकार -

### A. संस्थापक / अध्यक्ष

- इस न्यास के संस्थापक अशोक कुमार पाल, पिता चन्द्र पाल सिंह, निवासी 136, गली नं. 4, राहुल विहार-2, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश -201009 है, और वह न्यास की नीति निर्धारण से संबंधित विषयों में मार्ग दर्शन करेंगे। अध्यक्ष न्यास मंडल के न्यासी पदाधिकारी, सचिव, कोषाध्यक्ष, साधारण सदस्य और आजीवन सदस्य मनोनीत करेंगे। किसी पद के रिक्त होने पर उसके कार्यों का संचालन तब तक स्वयं अध्यक्ष रहते करते रहेंगे जब तक कि नए पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है।
- अपने कार्यों में सहयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष को मनोनीत कर सकेंगे। जो अध्यक्ष के आदेशानुसार न्यास की गतिविधियों का संचालन करेंगे।
- न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं, शाखाओं में भी अध्यक्ष ही व्यवस्थापक को मनोनीत करेंगे।
- किसी भी विषय पर विवाद होने पर अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उचित निर्णय कर सकता है। अध्यक्ष का निर्णय सभी विषयों पर मान्य होगा एवं किसी भी विषय पर न्यास के हितार्थ संस्थापक द्वारा असहमति व्यक्त करने पर वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा।
- न्यास के हित में प्रयत्न करना एवं संपत्ति का बराबर निरीक्षण करना।
- किसी भी समय अवधि पूर्ण होने से पहले अगर न्यास मण्डल सुचारु रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो न्यास मंडल का पुनर्गठन करना।
- न्यास की बैठक बुलाने या परिवर्तन करने से संबंधित स्वीकृति देना। न्यास की तरफ से समस्त प्रकार की कानूनी कार्यवाही करना।
- संस्थापक मृत्युकाल अथवा असमर्थता की स्थिति में संस्थापक द्वारा अपने उत्तराधिकारी का चयन किया जाएगा और प्रत्येक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की सहमति से अपने उत्तराधिकारियों का चयन करना होगा।

## **AA. उपाध्यक्ष**

- i. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का सारा काम करेंगे।
- ii. उपाध्यक्ष न्यास मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष को संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति से मनोनीत करेंगे। किसी पद के रिक्त होने पर उसके कार्यों का संचालन तब तक स्वयं उपाध्यक्ष करते रहेंगे। जब तक की नए पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है।
- iii. न्यास के हित में प्रयत्न करना एवं संपत्ति का बराबर निरीक्षण करना।
- iv. किसी भी समय अवधि पूर्ण होने से पहले अगर न्यास मण्डल सुचारु रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो न्यास मंडल का पुनर्गठन करना।
- v. न्यास की बैठक बुलाने या परिवर्तन करने से संबंधित स्वीकृति देना। न्यास की तरफ से अन्य सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करना।

## **B. सचिव**

बैठकों की सम्पूर्ण कार्यवाही लिखना, बैठकें आयोजित करने हेतु व्यवस्था करना, पत्र व्यवहार करना, संस्था को प्राप्त हुए धन की रसीदें देना, आय व्यय का हिसाब रखना, वार्षिक बैठक में आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना। न्यास संचालन में अध्यक्ष की सहयोग करना।

## **C. कोषाध्यक्ष-**

न्यास संचालन हेतु कोष का प्रबंध करना। कोष, आय-व्यय का ब्यौरा एवं स्रोतों को बैठक में प्रस्तुत करना, न्यास के लिए दान चंदा प्राप्त करना व रसीद देना। अध्यक्ष महोदय को सहयोग करना। बैंक, पोस्ट-ऑफिस आदि में धन जमा करना।

## **D. न्यासी –**

- i. न्यास के न्यासी जाति भेद रहित होंगे। वह न्यासी ही मनोनीत होगा जो न्यास के उद्देश्य का पालन करेगा।
- ii. अध्यक्ष को छोड़कर प्रत्येक न्यासी का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त होने पर संस्थापक और अध्यक्ष द्वारा उसी व्यक्ति को अथवा अन्य व्यक्ति को न्यासी के रूप में चयनित किया जा सकेगा।
- iii. प्रत्येक न्यासी अपने कार्य के लिए संस्थापक और अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा।

### 8) न्यासियों की कार्यमुक्ति

निम्नलिखित में से किसी भी एक या अधिक कारणों से न्यासी का स्थान रिक्त समझा जायेगा:-

- i. अपनी इच्छा से त्याग पत्र देने पर, पागल होने पर, मृत्यु होने पर, नियमों का पालन न करने पर, न्यास से दुर्व्यवहार करने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- ii. न्यास की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, न्यास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, या दुरुपयोग करने पर या गबन करने पर।
- iii. न्यायालय द्वारा दण्डित, दिवालिया घोषित या अपराध प्रवृत्ति अथवा कानून की दृष्टि में इकरार करने के अयोग्य हो जाने पर।
- iv. बिना कारण बताये, पूर्व सूचना दिये, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- v. कार्यकाल पूरा होने पर।

न्यास की मूल भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने पर अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी अथवा न्यासी को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में न्यासी के स्थान के रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति न्यास मण्डल द्वारा तीन माह के अंदर दो-तिहाई बहुमत से कर सकेगा किन्तु इसके लिए अध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

### 9) न्यास मण्डल की बैठक

- i. वर्ष में एक बैठक आवश्यक होगी जो **वार्षिक बैठक** कहलायेगी। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं जिन्हें **असाधारण बैठक** कहा जायेगा।
- ii. वार्षिक बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व एवं असाधारण बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व सभी न्यासियों को दी जानी अनिवार्य है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अल्पावधि सूचना द्वारा भी बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक की सूचना में बैठक का विषय देना भी अनिवार्य होगा।
- iii. **गणपूर्ति:** कुल न्यासियों की संख्या का दो-तिहाई या दो न्यासी जो भी अधिक हो की उपस्थिति को गणपूर्ति मानी जायेगी। गण पूर्ति के अभाव में दूसरी बैठक बुलाई जायेगी जिसके लिए गण पूर्ति आवश्यक नहीं होगी।
- iv. बैठक में कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं हो सकता है।

### 10) न्यासी मण्डल के कर्तव्य

- I. न्यास सम्पत्ति की देख रेख करना।
- II. जन साधारण व सेवकों से न्यास हेतु दान भेंट सहायता प्राप्त करना।
- III. जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष की सहमति व अनुमोदन से नियमों व उपनियमों में परिवर्तन करना।
- IV. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त कर उसका प्रबंध करना।



- V. न्यास का **वार्षिक बजट** बनाकर वार्षिक सभा में प्रस्तुत करना ।
- VI. वार्षिक मेलों, अर्ध कुम्भ, पूर्ण कुम्भ आदि पर्वों पर विशेष तत्परता दिखाना न्यास के कार्यों की रूप रेखा बनाकर उन्हें पूर्ण करना और करवाना ।
- VII. उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय एवं राजकीय महिला कल्याण निगम वित्तीय संस्थाओं, संस्थानों, बैंकों, दान दाताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता, ऋण दान, अनुदान चल व अचल संपत्ति न्यास के हित में प्राप्त करना ।

### 11) न्यास सलाहकार समिति

- i. न्यास के संचालन में सहयोग हेतु अध्यक्ष द्वारा आजीवन सदस्यों में से 21 सलाहकार सदस्य को मनोनीत कर सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा ।
- ii. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सलाहकार सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

### 1) न्यास सदस्यता

स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान के विस्तार के लिये सदस्य बनाए जाएंगे जो की साधारण सदस्य या आजीवन सदस्य होंगे । स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान का कोई भी साधारण सदस्य या आजीवन सदस्य स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान का ट्रस्टी नहीं होगा।

#### I. साधारण सदस्य

**योग्यता :** 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो न्यास के उद्देश्यों एवं नियमों से सहमत हों, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क अदा कर न्यास की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

**अवधि :** प्रत्येक साधारण सदस्य की सदस्यता अवधि एक वर्ष होगी ।

#### अधिकार :

- i. न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम, रैली, आंदोलन व अन्य समारोह में भाग ले सकेंगे।
- ii. साधारण सदस्य को स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान से संबंधित निर्णयों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा ।
- iii. किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नहीं होगा।

#### कर्तव्य:

- I. न्यास के संविधान, नीति नियम, प्रस्तावों का पालन एवं सम्मान करेंगे।
- II. वार्षिक शुल्क तथा अन्य देय राशि को समय पर अदा करना।
- III. न्यास द्वारा आयोजित समारोह विभिन्न कार्यक्रम, आयोजनों में सहभागिता तथा यथा संभव योगदान देंगे।

IV. न्यास के प्रावधानों, संविधान, नियमावली तथा अध्यक्ष के निर्णयों का सम्मान करेंगे।

## **II. आजीवन सदस्य**

**योग्यता:** 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो न्यास के उद्देश्यों एवं नियमों से सहमत हों, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क अदा कर न्यास की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

**अवधि :** आजीवन

**अधिकार :**

- i. न्यास अध्यक्ष द्वारा योग्यतानुसार संरक्षक और सलाहकार मंडल में चयन।
- ii. न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम, रैली, आंदोलन व अन्य समारोह में भाग ले सकेंगे।
- iii. आजीवन सदस्य को स्वाभिमान शिक्षा संस्कृति समाजोत्थान से संबंधित निर्णयों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा।
- iv. किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नहीं होगा।

**कर्तव्य:**

- I. न्यास के संविधान, नीति नियम, प्रस्तावों का पालन एवं सम्मान करेंगे।
- II. वार्षिक शुल्क तथा अन्य देय राशि को समय पर अदा करना।
- III. न्यास द्वारा आयोजित समारोह विभिन्न कार्यक्रम, आयोजनों में सहभागिता तथा यथा संभव योगदान देंगे।
- IV. न्यास के प्रावधानों, संविधान, नियमावली तथा अध्यक्ष के निर्णयों का सम्मान करेंगे।

## **12) न्यास के साधारण और आजीवन सदस्यों की सदस्य पद से मुक्ति**

निम्नलिखित में से किसी भी एक या अधिक कारणों से न्यास के साधारण और आजीवन सदस्यों का स्थान रिक्त समझा जायेगा:-

- i. अपनी इच्छा से त्याग पत्र देने पर, पागल होने पर, मृत्यु होने पर, नियमों का पालन न करने पर, न्यास व न्यासीयों से दुर्व्यवहार करने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- ii. न्यास की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, न्यास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, या दुरुपयोग करने पर या गबन करने पर।
- iii. न्यायालय द्वारा दण्डित, दिवालिया घोषित या अपराध प्रवृत्ति अथवा कानून की दृष्टि में इकरार करने के अयोग्य हो जाने पर।
- iv. कार्यकाल पूरा होने पर।

न्यास की मूल भावना के अनुरूप कार्य नहीं करने पर अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी अथवा न्यास के साधारण और आजीवन सदस्यों को उसके दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है।

### **13) न्यास का संचालन**

न्यास का संचालन संस्थापक अध्यक्ष महोदय करेंगे। समस्त न्यासी गण न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास के समस्त प्रबंध कार्यों को चलाने के लिए संस्थापक अध्यक्ष महोदय के प्रति उत्तरदायी एवं सहयोगी होंगे।

### **14) न्यास का कोष**

- i. न्यास के कोष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर में खाता खोला जायेगा जो सुविधानुसार एक से अधिक बैंक और डाकघर में भी हो सकता है।
- ii. मुख्य खाते का संचालन अध्यक्ष (अनिवार्य हस्ताक्षर) व सचिव (या कोषाध्यक्ष) के हस्ताक्षर से होगा।
- iii. न्यास की स्थायी निधि, और इस से प्राप्त ब्याज को राष्ट्रीय कृत बैंक में जमा किया जायेगा व इसका विनियोग आयकर के अधिनियमों के अन्तर्गत होगा।

### **15) न्यास के नियमों और उपनियमों का संशोधन**

न्यासी मण्डल सभा के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से न्यास के नियमों एवं उपनियमों में अध्यक्ष महोदय की सहमति / अनुमोदन से संशोधन हो सकेगा।

### **16) न्यास के लेख का प्रशिक्षण**

प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए न्यास के आय-व्यय का हिसाब नियमानुसार रखा जायेगा।

### **17) कानूनी कार्यवाही**

न्यास के सभी कानूनी कार्यों को करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव या किसी भी न्यासी को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। न्यास का कानूनी क्षेत्र जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली होगा।

### **18) संरक्षक मण्डल**

न्यास को सुझाव देने के लिए एक संरक्षक मण्डल का गठन किया जायेगा। इस संरक्षक मण्डल में समाज के प्रतिष्ठित एवं बुद्धिजीवी महानुभावों को सम्मिलित किया जायेगा। जिनसे समय-समय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन मिल सके। और न्यास के दिशा निर्देशक के रूप में जन कल्याणार्थ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सहायता मिल सके। परंतु संरक्षक मण्डल के न्यास के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

### 19) पंजीकृत कार्यालय

समय काल परिस्थिति और ट्रस्ट के कार्यों और उद्देश्य हेतु पंजीकृत कार्यालय को सुविधानुसार संस्थापक और अध्यक्ष की सहमती से किसी भी स्थान पर खोला जा सकेगा।

### 18) न्यास का विघटन

न्यास कभी भी विघटित नहीं होगा न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग और दुरुपयोग कोई भी न्यासी निजी तौर पर या अपने सगे सम्बंधियों, मित्र या स्वार्थ के लिये नहीं कर सकेगा, न्यास के विघटन होने की स्थिति में न्यास की सम्पत्ति सम-उद्देश्यों वाले न्यास को चली जायेगी।

मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर कर इस न्यास घोषणा पत्र का निष्पादन करता हूँ।

दिनांक

स्थान

साक्षी - 1

संस्थापक

साक्षी - 2